रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एस0 एम0 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 24 जून, 1998/3 आषाढ़, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 1998

संख्या एल0 एल0 आर0 (राजभाषा) बी (16) 15/98.—"दि रजिस्ट्रेशन (हिमाचल प्रदेश सैकन्ड अमैन्डमैन्ट) ऐक्ट, 1981 (1982 का 1)" के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल

2148-राजपत्र/98-24-6-98—1,288. (2301) मूल्य : 1 रुपया।

के तारीख 11 जून, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981

(1982 का 1)

(राष्ट्रपति द्वारा 17-12-1981 को यथा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रजिस्ट्रीकरण (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

नई धारा 80-क का अन्त:स्थापन ।

2. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में, धारा 80 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा इसके शीर्षक सहित अन्त:स्थापित की जाएगी और सदैव अन्त: स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:--

"80-क. भू-राजस्व की बकाया के रूप में रजिस्ट्रीकरण फीस की वसूली और प्रतिदाय के लिए उपबन्ध--

(1) यदि निरीक्षण करने पर, या अन्यथा, यह पाया जाता है कि किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में जो रजिस्ट्रीकृत है, इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस संदत्त नहीं की गई है या अपर्याप्त रूप में संदत्त की गई है, तो ऐसी फीस, मांग किए जाने पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसका संदाय करने में असफल रहने के पश्चात् सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पर, उस व्यक्ति से, जिसने धारा 32 के अधीन ऐसा दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किया है, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

(2) जहां रजिस्ट्रार यह पाता है कि फीस की रकम, जितनी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रभार्य है, से अधिक प्रभारित और संदत्त की गई है, वहां वह, लिखित आवेदन किए जाने पर या अन्यथा, अधिक्य का प्रतिदाय कर सकेगा ।"